**संख्या- 11 /2017/775/30-3-17-10बी/2013-1**

प्रेषक,

मुहम्मद अख़लाक़ खॉ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनॉक 31 मार्च, 2017

विषय- प्रदेश के पूर्व निर्मित सम्भागीय परिवहन कार्यालय-इलाहाबाद, गाजियाबाद, वाराणसी, अलीगढ़ एवं मुरादाबाद में सारथी हॉल के पुनरीक्षित आगणन की अवशेष वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1975ए/2016-210ए/2015, दिनॉक 07-09-2016 के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि संभागीय परिवहन कार्यालय-फर्रूखाबाद के भवन निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-33/677/30-3-15-12बी/2013 दिनॉक 25-03-2015 द्वारा रू0 154.14 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी। उक्त धनराशि प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु आवंटित भूमि अनुपयुक्त होने के कारण कार्यदायी संस्था-सी0 एण्ड डी0एस0 (उत्तर प्रदेश जल निगम) को शासनादेश संख्या-253/30-3-16-12बी/2013 दिनॉक 04-02-2016 द्वारा परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 को वापस करने के निर्देश दिये गये। उक्त धनराशि परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 के बैंक ऑफ बड़ौदा स्थित खाते में हस्तांतरित की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 के बैंक ऑफ बड़ौदा स्थित खाते में हस्तांतरित की गयी धनराशि रू0 154.14 लाख से सम्भागीय परिवहन कार्यालय-इलाहाबाद, गाजियाबाद, वाराणसी, अलीगढ़ एवं मुरादाबाद में सारथी सारथी हॉल के पुनरीक्षित आगणन की धनराशि रू0 149.31 लाख के परीक्षणोपरान्त संलग्न विवरण के अनुसार कुल धनराशि रू0 140.59 लाख (रू0 एक करोड़ चालीस लाख उनसठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) आहरित धनराशि पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी तथा प्रश्नगत कार्य कराये जाने हेतु नामित कार्यदायी संस्था-यूपी स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर कारपोरेशन लि0 (पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लि0) से परिवहन आयुक्त उ0प्र0 द्वारा अनुश्रवण करके प्रश्नगत कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) परियोजना निर्माण में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) निर्माण के समय कार्य की विशिष्टियॉ, मानक व गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष का होगा।

(4) उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति न हो, इसका पूर्ण उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष को होगा।

(5) परियोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण कर लिया जायेगा और इसका उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा और इस हेतु अब कोई पुनरीक्षित लागत स्वीकृत नहीं की जायेगी।

(6) पूर्व निर्मित सम्भागीय/उप सम्भागीय परिवहन कार्यालयों में सारथी साफ्टवेयर आधारित स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिये हाल के निर्माण के मानकीकरण एवं लागत सम्बन्धी शासनादेश संख्या-2011/30-3-13-10बी/2013टी0सी0, दिनॉक 13-09-2013 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) उक्त व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व आपका होगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 के बैंक ऑफ बड़ौदा स्थित खाते में हस्तांतरित की गयी धनराशि रू0 154.14 लाख में से की जायेगी तथा अवशेष धनराशि राजकोष में जमा कराया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(मुहम्मद अख़लाक़ खॉ)
विशेष सचिव।

**संख्या-11/2017/775(1)/30-3-2017, तददिनॉक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- सम्भागीय परिवहन अधिकारी- इलाहाबाद, गाजियाबाद, वाराणसी, अलीगढ़ एवं मुरादाबाद।
6- नियोजन अनुभाग-4
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
8- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
9- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था- संस्था-यूपी स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर कारपोरेशन लि0 (पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लि0)
10- गार्ड फाइल।

संलग्नक-यथोक्त।

आज्ञा से,

(मुहम्मद अख़लाक़ खॉ)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संभागीय परिवहन कार्यालय- इलाहाबाद, गाजियाबाद, वाराणसी, अलीगढ़ एवं मुरादाबाद में निर्माणधीन सारथी हॉल के पुनरीक्षित आगणनों की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या- 11/2017/775/ 30-3-17-10बी/2013-1, दिनॉक 31 मार्च, 2017 का सलंग्नक।

(धनराशि लाख रूपये में)

| क्र0 सं0 | कार्यालय का नाम | शासनादेश संख्या व दिनॉक | अनुमोदित मूल धनराशि | स्वीकृत प्रथम किस्त की धनराशि | स्वीकृत द्वितीय किस्त की धनराशि | पुनरीक्षित आगणन | अन्तर की धनराशि (7-4) | पीएफएडी द्वारा मूल्यांकित धनराशि | अन्तर की धनराशि (9-4) | पूर्व में स्वीकृत धनराशि | अवशेष धनराशि/ स्वीकृति हेतु प्रस्तावित धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | संभागीय परिवहन कार्यालय, इलाहाबाद | 19/70/30-3-14-10बी/2013टीसी, दिनॉक 20-02-2014<br>60/2499/30-3-14-10बी/2013टीसी, दिनॉक 04-09-2014<br>3/2016/2734/30-3-16-10बी/2013-1 दिनॉक 14-01-2016 | 164.28 | 82.14 | 82.14 | 215.30 | 51.02 | 211.93 | 47.65 | 25.00 | 22.65 |
| 2 | संभागीय परिवहन कार्यालय, गाजियाबाद | 19/70/30-3-14-10बी/2013टीसी, दिनॉक 20-02-2014<br>60/2499/30-3-14-10बी/2013टीसी, दिनॉक 04-09-2014 | 153.42 | 76.71 | 76.71 | 192.19 | 38.77 | 190.13 | 36.71 | 00 | 36.71 |
| 3 | संभागीय परिवहन कार्यालय, वाराणसी | 19/70/30-3-14-10बी/2013टीसी, दिनॉक 20-02-2014<br>60/2499/30-3-14-10बी/2013टीसी, दिनॉक 04-09-2014 | 163.99 | 81.995 | 81.995 | 205.70 | 41.71 | 202.68 | 38.69 | 00 | 38.69 |
| 4 | संभागीय परिवहन कार्यालय, अलीगढ़ | 19/70/30-3-14-10बी/2013टीसी, दिनॉक 20-02-2014<br>60/2499/30-3-14-10बी/2013टीसी, दिनॉक 04-09-2014 | 157.59 | 78.795 | 78.795 | 194.53 | 36.94 | 190.89 | 33.30 | 00 | 33.30 |
| 5 | संभागीय परिवहन कार्यालय, मुरादाबाद | 81/2676/30-3-14-10बी/2013-1, दिनॉक 13-11-2014<br>परिवहन आयुक्त के पत्र दिनॉक 27.03.2015 | 165.00 | 82.50 | 82.50 | 174.24 | 9.24 | 00 | 00 | 00 | 9.24 |
| | | योग - | | | | | | | | | 140.59 लाख<br>(रू0 एक करोड़ चालीस लाख उनसठ हजार मात्र) |

(मुहम्मद अख़लाक़ खॉ)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।